भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *43

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

सीएसआर निधियों का व्यय

***43. श्री अरुण कुमार सागरः**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों ने विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विशेषकर देश के पिछड़े और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में व्यय की गई इस धनराशि का उपक्रम-वार, शीर्ष-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या देश भर में, विशेषकर पिछड़े और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत ईष्टतम व्यय सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या देश के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"सीएसआर निधियों का व्यय" के संबंध श्री अरुण कुमार सागर, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 23.07.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *43 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरणः

(क) : कोयला मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सीएसआर के अंतर्गत निधियां आबंटित की हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित सीएसआर निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	**सीआईएल और सहायक कंपनियां (करोड़ रुपये में)**	**एनएलसीआईएल (करोड़ रुपये में)**
2022-23	441.62	39.65
2023-24	425.03	40.27
2024-25	700.72	43.89
2025-26	884.44	43.54 (अंतरिम बजट)

(ख) और (ग): सीआईएल की सीएसआर नीति के अनुसार, सहायक कंपनियों को अपने खनन स्थलों या परियोजना स्थलों के 25 किलोमीटर के दायरे में अपने वार्षिक सीएसआर बजट का कम से कम 80% आवंटित करना अपेक्षित है और शेष 20% को प्रचालन के राज्य (राज्यों) में आवंटित करना अपेक्षित है। कोल इंडिया लिमिटेड (मुख्यालय) को देश में कहीं भी सीएसआर परियोजनाओं को शुरू करने का अधिकार है, लेकिन उसे अपने संसाधनों को कई राज्यों और विषयगत प्राथमिकताओं के लिए आवंटित करना आवश्यक है। सीएसआर क्रियाकलापों का स्वरूप ऐसा है कि वे क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या को उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए अनुकूल परिस्थितियों का सृजन करके लाभान्वित करते हैं, जिनमें अनुसूचित जातियां और पिछड़े वर्ग शामिल हैं। सीआईएल ने अपनी सीएसआर नीति के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि परियोजना प्रभावित क्षेत्रों और प्रचालन-राज्यों में वंचित वर्ग के लोग सीएसआर कार्यकलापों के प्राथमिक लाभार्थी हों। सीआईएल के सभी 8 प्रचालन-राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम और ओडिशा में बड़ी संख्या में पिछड़ी आबादी है।

एनएलसीआईएल प्रत्येक वर्ष सीएसआर के लिए पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का 2% आबंटित करती है और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की विभिन्न मदों के अंतर्गत सीएसआर कार्यकलाप करती है। एनएलसीआईएल सीएसआर निधि का 75% स्थानीय क्षेत्र (प्रचालन क्षेत्रों) में व्यय करता है। कुल सीएसआर बजट का अनुमानित 50-55%

एनएलसीआईएल के आसपास के गांवों/क्षेत्रों में पिछड़ी और अनुसूचित जाति की आबादी के कल्याण के लिए व्यय किया जाता है।

सीएसआर परियोजनाएं पूरे समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए शुरू की जाती हैं जहां परियोजना निष्पादित की जाती है। इस प्रकार, परियोजना से लाभान्वित होने वाले लोगों की सही संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई निधियों की मात्रा का उपक्रम-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

उपक्रम	**व्यय की गई सीएसआर निधि (करोड़ रुपये में)**			
	वित्तीय वर्ष 22-23	**वित्तीय वर्ष 23-24**	**वित्तीय वर्ष 24-25**	**वित्त वर्ष 25-26 (जून 2025 तक)**
ईसीएल	6.92	7.32	4.41	0.54
बीसीसीएल	11.42	7.77	22.15	0
सीसीएल	36.12	61.92	81.11	10.27
एमसीएल	207.97	162.90	228.08	43.97
एनसीएल	133.64	157.87	192.19	17.48
एसईसीएल	59.28	53.07	50.14	1.05
डब्ल्यूसीएल	11.62	13.97	52.51	0.07
सीएमपीडीआईएल	8.92	8.81	9.33	0.26
सीआईएल	42.04	98.55	95.73	55.28
एनएलसीआईएल	**43.07**	**47.36**	**47.19**	**3.77**
कुल	**561.00**	**619.54**	**782.84**	**132.69**

व्यय की गई निधियों का शीर्ष-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-क में दिया गया है:-

(घ) और (ङ): उत्तर प्रदेश में, केवल नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) खानों का प्रचालन करती है, जिनमें से सभी सोनभद्र जिले में स्थित हैं; परिणामस्वरूप, एनसीएल के सीएसआर व्यय का बड़ा हिस्सा आवश्यक रूप से सोनभद्र और उसके आस-पास के समुदायों के लिए किया जाता है, शेष राशि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में इसके विस्तृत फुटप्रिंट क्षेत्रों में व्यय की जाती है।

***

अनुबंध-क

दिनांक 23.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *43 के विवरण के भाग (ख) एवं (ग) में संदर्भित अनुबंध

1. सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा व्यय की गई शीर्ष-वार निधियां

शीर्ष	**व्यय की गई सीएसआर निधि (करोड़ रुपये में)**				
	वित्तीय वर्ष 22-23	**वित्तीय वर्ष 23-24**	**वित्तीय वर्ष 24-25**	**वित्त वर्ष 25-26 (जून 2025 तक)**	**कुल**
स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और पोषण	203.73	251.04	332.31	58.25	845.33
शिक्षा, कौशल और आजीविका	144.46	124.53	246.15	38.71	553.85
ग्रामीण विकास	110.12	116.69	82.63	16.27	325.71
पर्यावरणीय संधारणीयता	19.20	22.68	31.31	1.23	74.42
खेलों का संवर्धन	29.56	32.29	7.63	2.61	72.09
अन्य	10.86	24.95	35.62	11.85	83.28
कुल	**517.93**	**572.18**	**735.65**	**128.92**	**1954.68**

2. सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों द्वार व्यय की गई क्षेत्र (राज्य) वार निधि

क्र.सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**व्यय की गई सीएसआर निधि (करोड़ रुपये में)**				
		वित्तीय वर्ष 22-23	**वित्तीय वर्ष 23-24**	**वित्तीय वर्ष 24-25**	**वित्त वर्ष 25-26 (जून 2025 तक)**	**कुल**
1	असम	1.51	3.40	3.87	0.53	9.31
2	छत्तीसगढ़	51.70	37.18	29.04	1.05	118.97
3	झारखंड	58.43	86.26	116.97	15.50	277.16
4	मध्य प्रदेश	109.50	145.91	145.86	13.13	414.4
5	महाराष्ट्र	13.57	13.91	59.11	13.64	100.23
6	ओडिशा	209.61	164.51	223.08	43.97	641.17
7	उत्तर प्रदेश	36.43	52.58	69.41	8.19	166.61

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	व्यय की गई सीएसआर निधि (करोड़ रुपये में)				
		वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25	वित्त वर्ष 25-26 (जून 2025 तक)	कुल
8	पश्चिम बंगाल	14.21	30.44	13.17	5.39	63.21
	कुल (प्रचालन के राज्य)	**494.96**	**534.19**	**660.51**	**101.40**	**1,791.06**
9	आंध्र प्रदेश	0.17	0.12	3.88	1.83	**6.00**
10	अरुणाचल प्रदेश	0.62	0.03	0.00	0.00	**0.65**
11	बिहार	0.03	0.46	1.41	0.15	**2.05**
12	दिल्ली	0.10	0.00	0.22	1.20	**1.52**
13	गुजरात	0.78	1.48	7.96	0.91	**11.13**
14	हरियाणा	0.65	0.55	0.06	0.00	**1.26**
15	हिमाचल प्रदेश	1.16	0.00	0.00	0.73	**1.89**
16	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**
17	कर्नाटक	0.83	14.20	4.20	1.57	**20.8**
18	केरल	0.81	0.00	0.00	0.00	**0.81**
19	लद्दाख	0.18	1.95	4.15	2.38	**8.66**
20	मणिपुर	0.20	0.17	0.00	0.00	**0.37**
21	मिजोरम	0.00	0.70	0.08	0.00	**0.78**
22	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**
23	राजस्थान	0.00	0.37	0.88	1.39	**2.64**
24	सिक्किम	0.00	0.24	0.31	0.00	**0.55**
25	तमिलनाडु	0.00	0.35	1.52	0.00	**1.87**
26	तेलंगाना	0.63	0.00	0.44	2.52	**3.59**
27	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**
28	उत्तराखंड	3.68	0.00	2.90	6.65	**13.23**
29	अखिल भारतीय परियोजनाएं + प्रशासन और अन्य व्यय +	13.13	17.37	47.13	8.19	**85.82**

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	व्यय की गई सीएसआर निधि (करोड़ रुपये में)				
		वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25	वित्त वर्ष 25-26 (जून 2025 तक)	कुल
	डिपॉजिटरी कार्य					
	कुल (अन्य राज्य)	**22.97**	**37.99**	**75.14**	**27.52**	**163.62**
	कुल (सभी राज्य)	**517.93**	**572.18**	**735.65**	**128.92**	**1954.68**

3. एनएलसीआईएल द्वारा व्यय की गई शीर्ष-वार निधि

क्र.सं.	सीएसआर फोकस क्षेत्र (अनुसूची VII मद)	व्यय की गई सीएसआर निधि (करोड़ रुपये में)			
		2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (25 जून तक)
1	स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	13.48	11.21	18.16	3.31
3	सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	-	19.24	12.10	0.06
4	शिक्षा (विशेष/व्यावसायिक कौशल सहित)	24.87	10.63	9.15	0.01
5	महिला सशक्तिकरण/लैंगिक समानता	-	1.20	-	-
6	पर्यावरणीय संधारणीयता	-	0.14	0.93	-
7	ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना	0.53	0.46	-	0.04
8	जल संसाधन संवर्धन/ग्रामीण विकास	-	-	0.28	0.33
9	लिंक सड़कें प्रदान करना	2.06	0.88	1.09	-
10	विरासत, कला और संस्कृति	0.02	1.54	3.14	-

क्र.सं.	सीएसआर फोकस क्षेत्र (अनुसूची VII मद)	व्यय की गई सीएसआर निधि (करोड़ रुपये में)			
		2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (25 जून तक)
11	सशस्त्र बलों का कल्याण	0.05	0.05	0.15	-
12	प्रशासनिक ओवरहेड्स	1.98	2.01	2.19	0.02
13	आपदा प्रबंधन (राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण)	0.08	-	-	-
	कुल	**43.07**	**47.36**	**47.19**	**3.77**

4. एनएलसीआईएल द्वारा व्यय की गई क्षेत्र (राज्य) वार निधि

क्र.सं.	राज्य	व्यय की गई सीएसआर निधि (करोड़ रुपये में)			
		वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25	कुल
1	तमिलनाडु	27.20	42.73	34.44	104.37
2	राजस्थान	2.92	2.73	5.71	11.35
3	ओडिशा	8.89	1.07	4.61	14.58
4	केरल	0.35	0.14	0.54	1.03
5	कर्नाटक	1.43	0.19	1.71	3.34
6	नई दिल्ली	0.37	0.08	0.15	0.60
7	पश्चिम बंगाल	1.38	0.00	0.00	1.38
8	महाराष्ट्र	0.06	0.32	0.03	0.40
9	तेलंगाना	0.03	0.07	0.00	0.10
10	हरियाणा	0.43	0.04	0.00	0.47
कुल		**43.07**	**47.36**	**47.19**	**137.63**

****